भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1165
उत्तर देने की तारीख-30/07/2025

आईसीटी लैब/स्मार्ट क्लासरूम

1165 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईसीटी लैब/स्मार्ट क्लासरूम वाले स्कूलों को दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अनुकूली उपकरण और सहायक सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए समग्र शिक्षा निधि का उपयोग करने की अनुमति है; और
(ख) क्या मंत्रालय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वर्तमान में संचालित स्मार्ट क्लासरूम वाले विद्यालयों की संख्या साझा कर सकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। समग्र शिक्षा, एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक 'स्कूल' की निरंतरता के रूप में परिकल्पना की गई है, और यह पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समावेशी और समान गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की दिव्यांगता अनुसूची में उल्लिखित बौद्धिक दिव्यांगता सहित एक या अधिक दिव्यांगता वाले सभी दिव्यांगजनों को शामिल किया गया है।

समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा VI से XII तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक/एकीकृत शिक्षण अधिगम डिवाइस जैसे हार्डवेयर और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण

और संसाधन सहायक सामग्री खरीदने की छूट है। इसमें डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट कक्षा, वर्चुअल कक्षा और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता शामिल होगी।

समग्र शिक्षा के अभिन्न भाग के रूप में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एक समर्पित समावेशी शिक्षा घटक है। इस घटक के माध्यम से, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट छात्र उन्मुख मध्यवर्तनों जैसे पहचान और मूल्यांकन शिविर, सहायता और सहायक उपकरणों का प्रावधान, परिवहन, स्क्राइब और एस्कार्ट भत्ता सहायता, ब्रेल पुस्तकों और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकों, विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए वजीफा और शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, ताकि सामान्य विद्यालयों में उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं का उचित रूप से निराकरण किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक स्तर पर चिकित्सीय मध्यवर्तनों के माध्यम से व्यक्तिगत सहायता भी प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार सीडबल्यूएसएन को सहायता प्रदान करती है।

(ख): प्रबंध पोर्टल के अनुसार, दिनांक 31.05.2025 तक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में कार्यात्मक स्मार्ट कक्षाओं का विवरण निम्नानुसार है: -

राज्य	**कार्यात्मक स्मार्ट कक्षाएं**
आंध्र प्रदेश	4,691
तेलंगाना	3,982

****